न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 173 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. पारसराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी राजोला कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. **श्री नरेन्द्र सैन अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांक :–** 22/05/2025

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम राजोला कलां पटवार हल्का राजोला कलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 352 पुराना खाता संख्या 116 के खसरा नबंर 606 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नबंर 628 रकबा 1. 8200 हैक्टर, खसरा नबंर 629 रंकबा 0.1900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.3700 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मुनाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट दर्ज है, जो कि वादी का घरेलू नाम है, जबकि वादी का वास्तविक नाम पारसराम पुत्र जोगाराम जाति जाट है तथा वादी के परिवार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि दस्तावेजात में वादी का नाम पारसराम पुत्र जोगाराम दर्ज है, जो सही है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादी का नाम मुनाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर पारसराम पुत्र जोगाराम की खातेदारी घोषणा की जाकर रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया जाता हैं।

वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत के पत्रांक/रीडर/2025/546 दिनांक 15.04.2025 के जरिये निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राजोला कलां की वर्तमान जमाबंदी के खाता सं0 352 खसरा नंबर 606, 625, 629 कुल रकबा 3. 3700 है0 के खातेदार मुनाराम पुत्र जोगाराम हि0 पूर्ण जाति–जाट दर्ज हैं। वादी पारसमल का ही घरेलू नाम मुनाराम हैं। तहसीलदार सोजत मंय हल्का पटवारी द्वारा मुनाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर पारसराम पुत्र जोगाराम किये जाने की अनुशंषा की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहंराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार वादी का नाम मुनाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर पारसराम पुत्र जोगाराम की खातेदारी घोषणा की जाकर रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा वादी पारसमल का ही घरेलू नाम मुनाराम है, जिससे मुनाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर पारसराम पुत्र जोगाराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं। ग्राम पंचायत राजोला कलां द्वारा यह माना है कि पारसराम पुत्र जोगाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में भूलवश मुनाराम पुत्र जोगाराम दर्ज हो गया तथा राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं। वादी के अन्य दस्तावेजों में यथा– आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में वादी का पारसमल पुत्र जोगाराम ही दर्ज हैं। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की अनापत्ति तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वास्तविक व सही नाम मुनाराम पुत्र जोगाराम नहीं होकर पारसराम पुत्र जोगाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से मुनाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर पारसराम पुत्र जोगाराम को खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: <u>आदेश</u> :–

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम राजोला कलां पटवार हल्का राजोला कलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 352 पुराना खाता संख्या 116 के खसरा नंबर 606 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नंबर 628 रकबा 1.8200 हैक्टर, खसरा नंबर 629 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.3700 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम मुनाराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम पारसराम पुत्र जोगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर, सोजत
(राज.)